न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2005 / 2315 / गंगानगर

1. लेखराम)
2. कृष्णलाल)
3. रामरतन)
4. धनराज) – पिसरान पेमाराम
5. शिशुपाल पुत्र सदाराम

– समस्त जाति जाट, निवासीयान मोटासर खूनी, तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर ।

...अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार ।

....रेस्पोण्डेण्ट

.....

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित :–
1. श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्त्ता की ओर से ।
2. श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक राज्य सरकार की ओर से।

.....

निर्णय **दिनांक 14.5.2019**

1. यह द्वितीय अपील धारा 224 राजंस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे '1955 के अधिनियम' से संबोधित किया गया है) की धारा 224 के तहत अतिरिक्त विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा अपील संख्या 18 / 2002 में दिनांक 4.3.2005 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण / अपीलाण्ट्स ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के न्यायालय में चक 3 एफएफए के मुरब्बा सं. 6 की 24 बीघा, मुरब्बा सं. 17 की 18 बिस्वा एवं कि.न. 5 की 18 बिस्वा सभी बाबत वाद पेश किया था । यह भूमियां वादिगण के बराबर–बराबर हिस्सा की गैरखातेदारी की भूमियां हैं । इसलिये इन्हें वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाए । बाद अन्वीक्षा विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.11.2001 को पारित निर्णयानुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से सशर्त्त डिक्री किया था :–

''वादीगण का वाद–पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया है कि जेरे बहस आराजी वाके चक 3 एफएफए के मु.न. 6 के 24 बीघा व मु.न. 7 के किला नं0 5 (0.18) नहरी कुल 24 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 16.02 बिस्वा बारानी व 8.16 बिस्वा नहरी भूमि की कीमत पुराने दर से राज्य सरकार में जमा करवाने पर ही वादीगण के नाम गैरखातेदारी के स्थान पर खातेदारी दर्ज की जावे । इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।''

उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण/अपीलांट्स की प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.2005 के द्वारा खारिज कर दिया । अतः यह द्वितीय अपील पेश हुई है ।

3. बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अधिवक्ता वादीगण/अपीलांट्स की दलील है कि वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही, काबिज काश्त है । इसलिये अब वे स्वतः इन भूमियों के खातेदार हो चुके हैं । इसके अलावा वादीगण/अपीलांट्स के पिता की यह गैर मौसमी भूमि होने से भी वादीगण खातेदारी हो चुके हैं । उनकी यह भी दलील है कि यह भूमियां राजस्व रेकार्ड में वादीगण/अपीलाण्ट्स के नाम मौरूमी हकदार के रूप में दर्ज हैं । इसलिये दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने यह भूमियां आवंटनशुदा मानकर त्रुटि की है । इन परिस्थितियों में वादीगण से कीमत वसूल करने को आज्ञा मनमानी है । विचारण न्यायालय ने आदेश संख्या 20 नियम 5 व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों की पालना किए बगैर निर्णय पारित किए हैं । अतः निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर वाद वादीगण बिना शर्त डिक्री किया जाए ।

5. उक्त तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उक्त दलीलों का विरोध किया है। दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया है ।

7. उक्त तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया ।

8. खुद वादीगण ने वादपत्र की मद संख्या 3 में वादग्रस्त आराजीयात अपने पिता पेमाराम की बीकानेर स्टेट के समय की अलाटशुदा भूमि होना बतलाया है उनकी यह भी प्लीडिंग है कि इस आवंटन के आधार पर पेमाराम के नाम यह भूमियां गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी तथा उनके जिम्मे कोई राशि बकाया नहीं है । इसलिये उन्होंने इस गैर खातेदारी को खातेदारी में तब्दील करवाने एवं

तदनुसार इस आशय की घोषणा का अनुतोष चाहा है । वादपत्र के अभिवचनों का राज्य सरकार के जवाबदावा में स्पष्ट प्रत्याख्यान(spepcial denial) नहीं किया गया है। अस्पष्ट प्रत्याख्यान (evasive denial) होने से विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बगैर वाद को साक्ष्य वादीगण लेखबद्ध करने हेतु अग्रसर कर दिया था। तनकीयात कायम नहीं होने के कारण तनकीवार निर्णय लिखवाने का प्रश्न ही नहीं था । तनकीयात कायम नहीं होने से वादीगण/अपीलांट किस प्रकार प्रिज्यूडिस हुए, इस बाबत वादीगण अपीलांट की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया है । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं कि वादपत्र में वादीगण/अपीलांट्स ने यह आराजीयात बीकानेर स्टेट के समय से अपने पिता/दादा प्रेमाराम को अलाट होना बताई है, किंतु उन्होंने आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है । इससे यह मालूम नहीं चलता है कि यह आराजीयात प्रेमाराम को निःशुल्क आवंटन हुई थी अथवा कीमतन ? उन्होंने इस आराजी की कीमत जमा करवाने की कोई रसीद भी पेश नहीं की है । इसलिये यदि वादीगण/अपीलांट्स के चाहे अनुसार गैरखातेदारी से खातेदारी का अंकन बिना कीमत लिये किया जाता है तो इससे राजस्व हानि होगी । विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी की है । इन समवर्ती निष्कर्षों में किसी प्रकार की illegality या perversity नहीं है । इसके अलावा खातेदारी प्राप्त होने से पूर्व यदि चकबंदी हो जाती है उस परिस्थिति में जमीन का आवंटन कीमतन ही होता है । इस प्रकरण में भी यही परिस्थितियां हैं । इसलिये वादीगण/अपीलांट्स को आवंटन राशि जमा कराने का सबूत पेश करना चाहिये था, उन्होंने ऐसा नहीं किया है । इस अपील में विधि का कोई बिन्दू निहित नहीं होने से यह अपील खारिज योग्य है ।

9. अतः यह अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष